स्म मुकदमा – 251 (a) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं 63/2024

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित । प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगणो के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सालमपुरा पटवार हल्का कोचरिया भू.अभिलेख क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा मे आराजी सं.160 रकबा 0.1391 हेक्टेयर भूमि मे आने-जाने हेतु भीलवाड़ा गंगापुर आम रोड़ आराजी संख्या 177 व 229 मे से होकर विपक्षी सं.01 लगायत 08 की आराजी सं.162 रकबा 0.8978 हेक्टेयर की पूर्वी मेड़ के सहारे से होकर आराजी नं.160 मे आता जाता है । उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी मे जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है । आराजी सं.162 की पूर्वी मेड़ के सहारे 15 फीट का रास्ता दिलवाने का आदेश प्रदान करावे नये रास्ते को राजस्व रिकार्ड (नक्शा) मे दर्ज करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि को भुगतान करने के लिए प्रार्थी तैयार है । अगर अप्रार्थीगण मुआवजी प्राप्त नही करना चाहते है तो अप्रार्थीगण की रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थी भूमि देने को तैयार है य़ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गयी । तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक /एफ-/ रीडर/2025/462 दिनांक 01.09.2025 से रास्ते हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ग्राम सालमपुरा की अपनी आराजी सं.160 मे आने जाने हेतु आबादी की आराजी सं.149 मे से होकर आता जाता है । प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से रास्ता दिया जाना उचित नही है । प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विधि का अनुशीलन किया गया । प्रार्थी द्वारा ग्राम सालमपुरा की खातेदार भूमि आराजी नं.160 मे पहुच मार्ग आराजी नं.162 मे से दिलाने का अनुरोध करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया । पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे ग्राम सालमपुरा की आराजी नं.149 किस्म गेमु.आबादी मे से पहुच मार्ग उपलब्ध होने से आत्यान्तिक आवश्यकता का बिन्दु सफल नही कर पाने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वैकल्पिक रास्ता होने तथा आत्यान्तिक आवश्यकता को सिद्ध नही कर पाने से स्वीकार योग्य नही ठहरता है । अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो । उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	